बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

<u>संकल्प</u>

सं0सं0 :–2/अ०प्र०–1–76/24 - 1864 /पटना, दिनांक :– 18.06.2024

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा अररिया जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 अंतर्गत दिनांक 18.06.2024 को बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन एवं संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उक्त पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। इसके लिए कार्य से संबंधित अभियंताओं एवं संवेदक को जिम्मेवार माना गया है।

प्रतिवेदन के अनुसार श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 उक्त पुल के निर्माण कार्य से सम्बद्ध रहे हैं एवं इनके द्वारा कर्त्तव्यहीनता बरती गयी है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/6/24

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–76/24 - 1865 /पटना, दिनांक:– 18.06.24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/6/24

विशेष सचिव

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–76/24 - 1865 /पटना, दिनांकः– 18.06.24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव 18/6/24

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–76/24 - 1865 /पटना/दिनांकः– 18.06.24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, अररिया/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/गया/मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/मुजफ्फरपुर पूर्वी–1/प्रशाखा पदाधिकारी–5/श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव 18/6/24

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–76/24 - 1865 /पटना/दिनांकः– 18.06.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव 18/6/24

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–76/24 - 1865 /पटना/दिनांकः– 18.06.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव 18/6/24

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com, secy-reo-bih@nic.ir

Scanned with CamScanner